21

मंत्रालयों/विभागों द्वारा चयन न किए गए लेखापरीक्षा पैराओं (सिविल और अन्य मंत्रालय) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत करने में अननुपालन

[समिति के अपने 42वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)

लोक लेखा समिति
(2021-22)

अड़तीसवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

gk/pac/cover page 2019

पीएसी सं. 2245

अड़तीसवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

मंत्रालयों/विभागों द्वारा चयन न किए गए लेखापरीक्षा पैराओं (सिविल और अन्य मंत्रालय) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत करने में अननुपालन

[समिति के अपने 42वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

सत्यमेव जयते

20/7/21 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया।

20/7/21 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

जुलाई, 2021/ आषाढ़, 1943(शक)

pk/pac/cover page 2019

विषय-सूची

पृष्ठ

लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना

प्राक्कथन

अध्याय-एक प्रतिवेदन

अध्याय-दो टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

अध्याय-तीन टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति, सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

अध्याय-चार टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

अध्याय-पांच टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं

परिशिष्ट

एक. लोक लेखा समिति (2021-22) की 16.07.2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

दो. लोक लेखा समिति के अपने 42वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

gk/pac/cover page 2019

लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
5. श्री सुधीर गुप्ता
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री जगदम्बिका पाल
8. श्री विष्णु दयाल राम
9. श्री राहुल रमेश शेवाले
10. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह
11. डॉ. सत्यपाल सिंह
12. श्री जयंत सिन्हा
13. श्री राम कृपाल यादव
14. रिक्त**
15. रिक्त**

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुबनेश्वर कालिता
18. डॉ. सी.एम. रमेश
19. श्री सुखेन्दु शेखर राय
20. डॉ. एम. थंबीदुरई
21. रिक्त**
22. रिक्त**

** दिनांक 07.07.2021 को मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, श्री अजय मिश्र टेनी, श्री भूपेन्द्र यादव और श्री राजीव चन्द्रशेखर समिति की/के सदस्य नहीं रही/रहे।

लोक लेखा समिति (2011-22) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
5. श्री सुधीर गुप्ता
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री जगदम्बिका पाल
8. श्री विष्णु दयाल राम
9. श्री राहुल रमेश शेवाले
10. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह
11. डॉ. सत्यपाल सिंह
12. श्री जयंत सिन्हा
13. श्री राम कृपाल यादव
14. रिक्त**
15. रिक्त**

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुबनेश्वर कालिता
18. डॉ. सी.एम. रमेश
19. श्री सुखेन्दु शेखर राय
20. डॉ. एम. थंबीदुरई
21. रिक्त**
22. रिक्त**

सचिवालय

1. श्री टी.जी. चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री एस. आर. मिश्रा - निदेशक
3. श्री पी. हॉकिप - अपर निदेशक
4. श्री पंकज के. शर्मा - समिति अधिकारी

gk/pac/cover page 2019

V

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से संबंधित **"मंत्रालयों/विभागों द्वारा चयन न किए गए लेखापरीक्षा पैराओं (सिविल और अन्य मंत्रालय) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत करने में अननुपालन "** संबंधी समिति के अपने 42वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह अड़तीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. बयालीसवां प्रतिवेदन 26.04.2016 को लोक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। समिति ने इस विषय पर उसकी 16.07.2021 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया। समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट पर दिया गया है।

3. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को इस प्रतिवेदन में **मोटे** अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

4. समिति, इस मामले में समिति सचिवालय और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की सराहना करती है।

5. बयालीसवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट - दो में दिया गया है।

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

नई दिल्ली;

जुलाई, 2021
आषाढ़,1943 (शक)

gk/pac/cover page 2019

अध्याय एक

प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति का यह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से संबंधित **"मंत्रालयों/विभागों द्वारा गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं (सिविल और अन्य मंत्रालय) पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों को समय पर प्रस्तुत करने में अननुपालन"** विषय पर उसके बयालीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. 26 अप्रैल, 2016 को लोक सभा में प्रस्तुत और राज्य सभा में सभा पटल पर रखे गए बयालीसवें प्रतिवेदन में 15 टिप्पणियां/सिफारिशें शामिल थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पण प्राप्त हो गए हैं और उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

एक. टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

पैरा सं.. **3,4,5,6,7,10,11,12,13,14** और **15**

कुल: 11

अध्याय – दो

दो. टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों के मद्देनजर आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं रखती है::

पैरा सं. **1** और **2**

कुल: 02

अध्याय – तीन

तीन. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और जिन्हें दोहराने की आवश्यकता है:

पैरा सं. **9**

कुल: 01

अध्याय – चार

चार. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर/कोई उत्तर नहीं दिया है:

पैरा सं. **8**

कुल: 01

अध्याय - पांच

3. **"मंत्रालयों/विभागों द्वारा गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं (सिविल और अन्य मंत्रालय) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत करने में अननुपालन"** विषय की विस्तृत जांच के दौरान, समिति ने पाया कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत करने में अत्यधिक देरी की।समिति ने वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग और राजस्व विभाग), रक्षा मंत्रालय,संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), जनजातीय कार्य मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के मामले में गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं पर एटीएन को समय पर प्रस्तुत करने में अननुपालन पाया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों पर संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई निरंतर अत्यधिक ढुल-मुल रही, क्योंकि बड़ी संख्या में उपचारात्मक/सुधारात्मक की-गई-कार्रवाई टिप्पण अभी भी मंत्रालयों के पास कई वर्षों से लंबित थे।

4. समिति ने पाया कि व्यय विभाग ने ऑनलाइन ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (एपीएमएस) के उन्नयन और संचालन के लिए और एपीएमएस के उपयोग पर मंत्रालयों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के आयोजन के लिए कुछ नियमित उपाय किए हैं। हालांकि, एपीएमएस प्रणाली को अपनाने की कार्रवाई अभी भी संतोषजनक नहीं है और अधिकांश मंत्रालयों के संबंध में धीमी है, जिसके कारण एपीएमएस पोर्टल की पूरी क्षमता हासिल नहीं की जा सकी है। ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (एपीएमएस) भी सभी संभावित उपयोगकर्ताओं को कवर करते हुए पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है।

5. समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को इस प्रतिवेदन के सुसंगत अध्यायों में पुन: प्रस्तुत किया गया है। बाद के पैराओं में, समिति ने अपनी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार किया है, जिन्हें या तो दोहराने की जरूरत है या जिन पर संबंधित मंत्रालय की टिप्पणियों की जरूरत है।

6. समिति चाहती है कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) इस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को प्रस्तुत करे।

(सिफारिश सं. 4)

7. समिति ने आवश्यकता आधारित ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (एपीएमएस) के उन्नयन और इसके उपयोग पर मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्त मंत्रालय के निगरानी प्रकोष्ठ के प्रयासों की सराहना की। समिति ने चिंता के साथ नोट किया कि मंत्रालय के भीतर अधिकारियों का एक विशिष्ट कार्यकाल होता है और सेवा की एक विशिष्ट अवधि के बाद उनका स्थानांतरण हो जाता है। समिति ने यह भी नोट किया कि कुछ मंत्रालयों के पास एपीएमएस के संचालन के लिए जनशक्ति की कमी है। समिति ने महसूस किया कि एपीएमएस का पूर्ण संचालन सभी मंत्रालयों के साथ जल्द से जल्द किया जाना चाहिए क्योंकि इससे विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में लंबित एटीएन की वास्तविक स्थिति के बारे में एक सही तस्वीर मिल जाएगी। समिति ने निगरानी प्रकोष्ठ से सभी मंत्रालयों को एपीएमएस अपनाने के लिए निर्देश देने की इच्छा व्यक्त की, जो स्थिति समझने में काफी मदद कर सकता है। समिति ने यह भी सिफारिश की कि निगरानी प्रकोष्ठ को तिमाही आधार पर अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए ताकि वे उन मंत्रालयों के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एपीएमएस के कार्यकरण से परिचित हों, जिनके पास इसके लिए कम जनशक्ति है। समिति ने इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के छह माह के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराने की सिफारिश की थी।

8. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तर में निम्नानुसार बताया है::

"लोक लेखा समिति (पीएसी) (पैरा नंबर 4, 42वां प्रतिवेदन, 16वीं लोक सभा) की सिफारिशों के अनुसार व्यय विभाग (निगरानी प्रकोष्ठ) ने दिनांक 16 जून 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/4/2016-ई-एमसी/15 के द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रत्येक चरण में एटीएन अपलोड करके एपीएमएस पोर्टल पर प्रक्रिया प्रवाह को पूरा करने, सीएजी से ऑनलाइन पुनरीक्षण टिप्पणियां प्राप्त करने और एटीएन अदालतों/एसएसी बैठकों का आयोजन करके लंबित लेखापरीक्षा पैराओं की स्थिति की नियमित समीक्षा करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, सभी मंत्रालय/विभाग अब एपीएमएस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। यह भी सूचित किया गया है कि अंतिम रूप से पुनरीक्षित एटीएन की भौतिक

प्रतियां केवल तभी स्वीकार की जाएंगी जब साथ-साथ एपीएमएस पोर्टल पर प्रक्रिया चक्र पूरा किया गया हो। इसके अलावा, मंत्रालयों/विभागों के कर्मियों के लिए त्रैमासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया है। कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण शुरू हो गया है।"

9. समिति को वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि सभी मंत्रालयों/विभागों ने लेखापरीक्षा पैराओं पर की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को प्रस्तुत करने के लिए एपीएमएस पोर्टल को अपनाया है और इसका उपयोग कर रहे हैं। समिति यह भी नोट करती है कि वित्त मंत्रालय द्वारा तिमाही अंतराल पर अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए निर्देश जारी किए गए हैं ताकि वे एपीएमएस के कार्यकरण से अच्छी तरह परिचित हों। फिर भी समिति एपीएमएस पोर्टल के पूर्ण संचालन के लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति का विवरण जानना चाहेगी। इसके अलावा, समिति चाहती है कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा पैराओं के लम्बित होने का मंत्रालयवार विवरण प्रस्तुत करे ताकि एपीएमएस पोर्टल का संचालन और लेखापरीक्षा पैराओ की लम्बितता की स्थिति पर एक सही, वस्तुनिष्ठ और वास्तविक तस्वीर मिल सके।

(सिफारिश सं. 5)

10. समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ नोट किया था कि कई मंत्रालयों ने एपीएमएस पोर्टल पर एटीएन अपलोड करने और निगरानी प्रकोष्ठ, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से बार-बार निर्देशों के बावजूद ऑनलाइन पुनरीक्षा टिप्पणियां प्राप्त करने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया था, जिससे ई-मॉनिटरिंग प्रदान की गई थी पोर्टल का डेटा अविश्वसनीय और उस पर किए गए प्रयास बेकार हो गए। इसलिए, समिति ने सिफारिश की थी कि सभी मंत्रालयों को अब से सभी एटीएन को एपीएमएस पोर्टल पर हर चरण में अपलोड करना चाहिए, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से ऑनलाइन पुनरीक्षा टिप्पणियां प्राप्त करनी चाहिए और पोर्टल पर अपलोड करके अंतिम एटीएन भी ऑनलाइन प्रस्तुत करने चाहिए। समिति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को केवल पोर्टल पर एटीएन को संसाधित करने और मंत्रालयों द्वारा मैन्युअल रूप से प्रस्तुत किए गए एटीएन को स्वीकार करने से इनकार करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से यह भी अनुरोध किया जाए कि वे लोक लेखा समिति के उपयोग के लिए की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को स्वतः श्रेणीबद्ध करें।

11. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने **अपने** की-गई-कार्रवाई **संबंधी उत्तर** में निम्नानुसार बताया::-

"लोक लेखा समिति (पीएसी) (पैरा सं. 5, 42वां प्रतिवेदन, 16वीं लोक सभा) की टिप्पणियों/सिफारिशों के आधार पर व्यय विभाग (निगरानी प्रकोष्ठ) ने दिनांक 16 जून 2016 के ओएम संख्या 4/4/2016-ई-एमसी/15 के द्वारा एपीएमएस पोर्टल पर प्रत्येक चरण पर सभी एटीएन अपलोड करने, सीएजी से ऑनलाइन पुनरीक्षा टिप्पणियां प्राप्त करने और पोर्टल पर अपलोड करके अंतिम एटीएन ऑनलाइन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय को उक्त का.ज्ञा. द्वारा सूचित किया गया है कि एपीएमएस पोर्टल पर मंत्रालयों/विभागों द्वारा एटीएन अपलोड करने के बाद, फील्ड फॉर्मेशन सहित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सभी फॉर्मेशन केवल पोर्टल पर एटीएन को संसाधित कर सकते हैं और मंत्रालयों/विभागों द्वारा मैन्युअल रूप से प्रस्तुत किए गए एटीएन को स्वीकार करने से इनकार करें। इसके अलावा, उन्हें मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपलोड किए गए अंतिम एटीएन को वर्गीकृत करने और पीएसी के उपयोग के लिए एपीएमएस पोर्टल पर इस तरह के वर्गीकरण को अपलोड करने की भी सलाह दी गई है।"

इसके अलावा, इस संबंध में सीएंडएजी ने निम्नवत बताया:

"समिति के निदेशों के अनुपालन में सभी प्रधान लेखापरीक्षा अधिकारी केवल पोर्टल के माध्यम से ही की-गई-कार्रवाई टिप्पणों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा, मंत्रालयों/विभागों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को लेखापरीक्षा द्वारा लोक लेखा समिति के उपयोग पोर्टल पर ही श्रेणीबद्ध किया जा रहा है। "

12. समिति नोट करती है कि वित्त मंत्रालय ने उनकी सिफारिश पर अमल करते हुए सभी संबद्ध प्राधिकारियों को एपीएमएस पोर्टल पर की-गई-कार्रवाई टिप्पणों (एटीएनएस) को राज्यवार उपलोड करने के निदेश दिए हैं। की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को सीएंडएजी से ऑनलाइन पुनरीक्षण टिप्पणियां प्राप्त होने के समय और फिर अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को प्रस्तुत करते हुए भी उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। समिति आगे यह भी नोट करती है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय से अनुरोध किया गया है कि एपीएमएस पोर्टल पर मंत्रालयों/विभागों द्वारा एटीएन अपलोड किए जाने के बाद, फील्ड फॉर्मेशन सहित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सभी फार्मेशन केवल पोर्टल पर एटीएन को संसाधित करेंगे

और मंत्रालयों/विभागों द्वारा मैन्युअल रूप से प्रस्तुत किए गए एटीएन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा यह सिफारिश की गई थी कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, मंत्रालयों/विभागों के अंतिम एटीएन को वर्गीकृत करें और लोक लेखा समिति के उपयोग के लिए एपीएमएस पोर्टल पर वर्गीकरण अपलोड करें। हालांकि समिति, पिछले अनुभव के आधार पर यह विचार व्यक्त करती है कि केवल निदेश जारी करना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए, समिति चाहती है कि वित्त मंत्रालय (निगरानी प्रकोष्ठ, व्यय विभाग) पोर्टल पर नवीनतम और अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने के मामले में मंत्रालयों/विभागों के साथ निरंतर बात करे। इसके अलावा, समिति यह भी चाहती है कि उसकी सिफारिश के सभी पहलुओं पर की-गई-अनुवर्ती कार्रवाई के ब्यौरे की जानकारी दी जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निगरानी और अनुपालन की एक पूर्ण और व्यापक प्रणाली स्थापित करने के संबंध में पर्याप्त प्रगति हुई है।

(सिफारिश सं. 8)

13. समिति ने चिंता के साथ नोट किया कि 20 पैराओं पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण 31/08/2015 की स्थिति के अनुसार संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के पास लंबित थे, जिनमें से वर्ष 2006 से संबंधित 1 लेखापरीक्षा पैराओं तथा 2010-11 से संबंधित 3 पैराओं पर की गई कार्रवाई टिप्पण अभी भी लम्बित थे। समिति ने आगे नोट किया कि 30/11/2015 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय के पास लंबित पैराओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को प्रस्तुत करने में देरी का कारण बताते हुए, सचिव ने 28/10/2015 को साक्ष्य के दौरान बड़ी संख्या में फील्ड पदाधिकारियों की मौजूदगी और उसी से उत्तरों के संग्रह की सूचना दी थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के साथ समाधान प्रक्रिया में भी काफी समय लगता है। समिति मंत्रालय के उत्तर से सहमत नहीं थी कि की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को प्रस्तुत करने में देरी का कारण बड़ी संख्या में फील्ड पदाधिकारियों का होना है। समिति का मानना था कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे मंत्रालय के लिए, अन्य मंत्रालयों की तुलना में अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के साथ बेहतर समन्वय रखने के लिए एक मजबूत तंत्र रखना तुलनात्मक रूप से आसान होना चाहिए।इसलिए, उन्होंने मंत्रालय से आईटी मॉड्यूल और संचार नेटवर्क के अपने मुख्य क्षेत्रों का उपयोग करके अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि लेखापरीक्षा पैराओं पर की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को प्रस्तुत करने की ऐसी जानकारी जल्दी से प्राप्त की जा सके और इसे लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित करने के बाद लोक सभा सचिवालय को

अग्रेषित किया जा सके। इसके अलावा, समिति मंत्रालय द्वारा लम्बित पैराओं पर कार्रवाई करने में और वो भी वर्ष 2006 के, जबकि प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किए हुए लगभग एक दशक हो गया है, बिना किसी प्रतिबद्धता के किए गए प्रयास को नोट करके निराश थी। इसलिए, समिति ने मंत्रालय से गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और इस तरह की चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने का आग्रह किया।समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय एटीएन को समय पर प्रस्तुत करने के लिए तंत्र को मजबूत करे और इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के छह महीने के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराए।"

14. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने अपने की-गई-कार्रवाई **संबंधी उत्तर** में निम्नवत बताया:-

"मामले की जांच करने पर, यह पाया गया कि सभी 22 लेखापरीक्षा पैराओं पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण उचित परिश्रम के साथ तैयार किए गए थे अर्थात एटीएन को समय पर तैयार करने; लेखापरीक्षा को पुनरीक्षण के लिए एटीएन प्रस्तुत करने; आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियों की प्राप्ति पर उक्त संशोधित एटीएन को प्रस्तुत करने, जिसके परिणामस्वरूप पैरा आदि की समाप्ति कर दी गयी है, के लिए कार्रवाई की गई थी; । उक्त कई पैराओं में से कई में नीतिगत निर्णय, वसूली के मुद्दों और कई हितधारकों की भागीदारी से उत्पन्न समय लगा , जिसमें बहुत अधिक परीक्षण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा की संतुष्टि के लिए कुछ पैराओं के निपटान में अपरिहार्य देरी हुई। इसके अलावा, पीएसी की टिप्पणियों/सिफारिशों के आलोक में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

क) वित्त मंत्रालय के मॉनिटरिंग सेल के ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (एपीएमएस) (https://apms.nic.in/) द्वारा लंबित लेखापरीक्षा पैरा की निगरानी की जा रही है। इस वेबसाइट में समय-समय पर सभी अपडेट/ की-गई-कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) अपडेट किए जाते हैं। तदनुसार, इस विभाग में भी एटीएन को समय पर प्रस्तुत करने और निगरानी के लिए एक प्रभावी निगरानी प्रणाली सुनिश्चित की जाती है।

ख) लंबित एटीएन की समीक्षा के लिए स्थायी लेखा परीक्षा समिति (एसएसी) की बैठक मासिक आधार पर आयोजित की जाती है और पैरा के निपटान के लिए संबंधित विंग के साथ प्रभावी अनुपालन किया जाता है।

ग) इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि ऊपर उल्लिखित सभी 22 पैराओं का जुलाई 2017 तक निपटारा कर दिया गया था। दिनांक 30.9.2020 तक, 43 अनुच्छेदों में से, 30 अनुच्छेदों (70% अनुच्छेदों) के उत्तर पहले ही समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जा चुके हैं और शेष पर संबंधित विंगों के साथ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।

घ) इसलिए, लेखापरीक्षा पैराओं के समय पर निपटान के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि इस अनुच्छेद को हटा दिया जाए।"

15. समिति ने नोट किया था कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के पास 20 पैरा लंबित हैं। मंत्रालय के सचिव ने समिति को तर्क दिया था कि बड़ी संख्या में क्षेत्रीय पदाधिकारियों और उसी से उत्तरों के संग्रह के कारण लंबित है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के साथ समाधान प्रक्रिया में भी बहुत समय लगता है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को क्षेत्र में एक बेहतर खिलाड़ी होने की उम्मीद करते हुए, समिति ने क्षेत्रीय इकाइयों के साथ बेहतर समन्वय की सिफारिश की। समिति ने लेखापरीक्षा पैराओं पर एटीएन के शीघ्र निपटान और लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित करने के लिए कहा था। समिति ने लंबित पैराओं का जवाब देने और बिना किसी जवाबदेही के मंत्रालय के अधिकारियों के गैर-जिम्मेदाराना रवैये की भी निंदा की थी।

16. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पणों में अनुरोध किया है कि नीतिगत निर्णय, वसूली के मुद्दों और कई हितधारकों की भागीदारी से उत्पन्न मामलों के कारण कई लंबित पैराओं में समय लगा। मंत्रालय ने आगे उल्लेख किया है कि उसने 2017 में लंबित 22 पैराओं का निपटारा कर दिया है और 30 सितंबर, 2020 तक 43 पैरा में से 30 पैरा ,यानी 70 प्रतिशत उपलब्धि, का निपटारा कर दिया है।

17. समिति नोट करती है कि मंत्रालय के मौजूदा उत्तरों का लेखापरीक्षा में पुनरीक्षण नहीं किया गया है। साथ ही, समिति यह भी नोट करती है कि की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को प्रस्तुत करने में विलंब के लिए मंत्रालय ने जो कारण बताया है वह पहले के बताए गए कारण से भिन्न है अर्थात विलंब के लिए पहले जो कारण बताया गया था वह यह था कि इसमें विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयां संलिप्त थीं, जबकि अब इसका कारण नीतिगत व प्राप्ति से संबंधित मुद्दे को

बताया गया है। समिति आशा करती है कि मंत्रालय जवाब प्रस्तुत करने के मामले के लंबित होने के स्पष्ट व साफ-साफ कारण बताए और समिति को जवाब प्रस्तुत करने से पहले इसका लेखापरीक्षा में पुनरीक्षण कराया जाए। समिति यह भी पाती है कि जवाब में दोषी अधिकारियों पर की-गई-कार्रवाई को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि उनके अपने पहले के प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों के अनुरूप समुचित कार्रवाई की जाए और संसद में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर समिति को इससे अवगत कराया जाए।

(सिफारिश सं. 9)

18. समिति ने पाया था कि रेल मंत्रालय के पास पांच पैराओं पर एटीएन थे जिन्हें 30.09.2016 तक 2012-13 और 2013-14 के बाद पहली बार भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, समिति ने देखा था कि 31.12.2015 को मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए लंबित पैराओं की संख्या बढ़कर 124 हो गई है। समिति लंबित एटीएन को मंजूरी देने में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से प्रभावित नहीं थी और उसने मामलों को निपटाने में मंत्रालय के कठोर रवैये की निंदा की थी।

19. अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि उल्लिखित सभी 5 पैरा लेखापरीक्षा को पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और 37 पैरा अप्रैल, 2015 से 08.12.2015 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिए गए थे। मंत्रालय ने आगे उल्लेख किया है कि वह लेखापरीक्षा पैरा को क्लियर करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। मंत्रालय द्वारा उल्लिखित प्रयासों में से एक यह है कि स्थायी लेखा परीक्षा समिति (एसएसी) की बैठकें आयोजित की गई हैं जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर पैरा को मंजूरी देने की आवश्यकता संबंधित अधिकारियों को प्रभावित करती है। परिणामस्वरूप, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 124 पैराओं के लंबित होने को और कम करके 94 पैरा कर दिया गया है। लंबित मामलों को और कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

20. समिति यह नोट कर निराश है कि की-गई-कार्रवाई उत्तरों को प्रस्तुत करने में विलंब के मामले को दूर करने में रेल मंत्रालय की ओर से गंभीरता का अभाव है। पहले तो मंत्रालय ने बताया था कि वह लंबित मामले को निपटाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। फिर भी, जवाब से यह बात सामने आई कि स्थायी लेखापरीक्षा समिति की बैठक में इस मामले को देख रहे

अधिकारियों पर केवल इस बात के लिए दबाव बनाया गया कि लंबित मामलों को समय से निपटाए जाने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मत्रालय लंबित की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को समय से निपटाने के महत्व को समझ पाने में नाकाम रहा है और संबद्ध अधिकारियों के खिलाफ ठोस दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय उनपर केवल इस बात के लिए दबाव बनाया गया कि लंबित मामले को कम करने की आवश्यकता है। लंबित मामलों की संख्या को 124 से घटाकर 94 किया जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अतः समिति चाहती है कि रेल मंत्रालय की-गई-कार्रवाई टिप्पणों के लंबित मामले को निपटाने की प्रक्रिया में आगे और सुधार करें और समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराएं।

(सिफारिश सं. 14 और 15)

21. यह उप-समिति, जैसाकि नाम से स्वयं ज्ञात होता है इसे लेखापरीक्षा जांच संबंधी की-गई-उपचारात्मक कार्रवाई की समय से प्रस्तुति हेतु केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने का प्राथमिक कार्य दिया गया। तथापि, जैसाकि पूर्ववर्ती पैराओं में उल्लेख किया गया है, पूर्व समितियों द्वारा चयनित विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बड़ी संख्या में पैराओं के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पण अभी भी मंत्रालयों के स्तर पर लंबित हैं। मंत्रालय निश्चित रूप से हमारे संविधान के महत्व से परिचित हैं जिसने इनके लिए लोक वित्त जवाबदेही और विशाल तंत्र स्थापित किया है। समिति को की-गई-कार्रवाई टिप्पणों की समय से प्रस्तुति हेतु मंत्रालय/विभाग में विद्यमान तंत्र और मंत्रालय के कार्यकरण संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई उपचारात्मक/सुधार टिप्पणों के समय से प्रस्तुति संबंधी अनुपालन को सुनिश्चित करवाने हेतु हाल के वर्षों में किए गए प्रयासों से अवगत कराया जाए।

22. समिति ने यह भी पाया कि सामाजिक क्षेत्र संबंधी मंत्रालयों के बड़ी संख्या में लेखापरीक्षा संबंधी पैरा लंबित हैं और यह स्वीकार करते हुए कि इन मंत्रालयों के पास पर्याप्त बजट आवंटन हैं और इन मंत्रालयों द्वारा अनुदानों का उपयुक्त उपयोग किए जाने से लाखों लोगों की जिंदगियों पर सीधा असर पड़ेगा, इसलिए उनके द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई टिप्पणों की समय से प्रस्तुति हेतु सख्त/निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। इसलिए, समिति वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग से सिफारिश करती है कि वह की गई उपचारात्मक कार्रवाई टिप्पणों की समय से प्रस्तुति हेतु सामाजिक क्षेत्र संबंधी मंत्रालयों द्वारा गैर-अनुपालन संबंधी निगरानी को और ज्यादा पुख्ता बनाए। इसके अलावा, इन की गई कार्रवाई टिप्पणों की समय

से प्रस्तुति को सुनिश्चित करवाने में जिन अधिकारियों के स्तर पर विफलता हो इसे उक्त अधिकारियों की एसीआर में प्रविष्ट किया जाए।

23. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लंबित सीएजी और अन्य लेखापरीक्षा पैराओं की समीक्षा के लिए सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में स्थायी लेखा समिति (एसएसी) गठित की गई है। सीएजी लेखापरीक्षा पैराओं और पीएसी की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन को मासिक आधार पर प्रस्तुति की समीक्षा तथा निगरानी के लिए नियमित रूप से एसएसी की बैठक आयोजित की जाती है। एसएसी बैठक के कार्यवाही सारांश को एपीएमएस पोर्टल पर भी अपलोड किया जाता है। लेखापरीक्षा टिप्पण तथा की-गई-कार्रवाई की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान भी चर्चा की जाती है तथा डीजीएसीई और मत्रालय के अधिकारियों के बीच मामले पर ध्यान देने के लिए नियमित रूप से बैठकों की व्यवस्था की जाती है।

जहां तक शेष सीएंडएजी पैरा के उत्तर का संबंध है, वर्ष 2015-16 के 18वें प्रतिवेदन के पैरा 17 का की-गई-कार्रवाई टिप्पण भी उपलब्ध करा दिया गया है। महानिदेशक, लेखापरीक्षा द्वारा विधीक्षा के उपरांत पोर्टल पर भी इसे अपलोड किया गया है। इसके आगे, वर्ष 2015 की 35वीं रिपोर्ट के संबंध में संशोधित कृत कार्रवाई टिप्पण भी उपलब्ध कराया जा चुका है। महानिदेशक, लेखापरीक्षा द्वारा विधीक्षा हेतु इसे एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है।"

24. लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर उपचारात्मक की-गई-कार्रवाई टिप्पणों के समय से प्रस्तुति सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अनुपालन के महत्व पर जोर देते हुए समिति यह जानना चाहती थी कि इन टिप्पणों के समय से प्रस्तुति सुनिश्चित करने और साथ ही, इनमें उपचारात्मक सुधारात्मक कार्रवाई करने की समय सीमा के अनुपालन के मेकैनिज्म क्या है और समिति ने यह पाया कि अधिकांश मंत्रालयों ने स्थायी लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया है जिनकी नियमित बैठकें होती हैं। प्रतिवेदनों को सीएंडएजी के वेबसाइट और

एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड करने की जवाबदेही संबद्ध मंत्रालय के नोडल डिविजन/सेक्शन पर होती है।

25. समिति ने यह भी नोट किया कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) लंबित मामलों को कम करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए भिन्न-भिन्न मंत्रालयों/विभागों को नियमित रूप से लिखता रहा है। समिति इस बात की सराहना करती है कि निगरानी करने और की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को समय से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए समर्पित विभाग/अनुभाग बनाए गए हैं। समिति इस बात की भी सराहना करती है कि व्यय विभाग निरंतर अपनी ओर से इस मामले को आगे बढ़ाता रहा है। समिति चाहती है कि मंत्रालय उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौजूदा व्यवस्था को सुदृढ करे जिसमें की-गई-कार्रवाई टिप्पणों के मामले निर्धारित समय-सीमा के बाद बिल्कुल भी लंबित न रहे।

अध्याय-पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं/ कोई उत्तर नहीं दिया है

सिफारिश सं. - 8

समिति चिंता के साथ नोट करती है कि 31.08.2015 की स्थिति के अनुसार 20 पैराओं पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (दूरसंचार विभाग) के पास लंबित थे जिसमें से वर्ष 2006 का लेखापरीक्षा पैरा और वर्ष 2010-11 के 3 पैरा अभी तक लंबित थे। समिति आगे नोट करती है कि 30.11.2015 तक मंत्रालय के पास लंबित पैराओं की संख्या बढ़कर 22 तक पहुंच गई है। की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को प्रस्तुत करने में विलंब के कारणों को स्पष्ट करते हुए, सचिव ने दिनांक 28.10.2015 को साक्ष्य के दौरान बताया था कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी और उनके उत्तरों को एकत्र करने के कारण विलंब होते हैं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के साथ मिलान प्रक्रिया भी काफी समय ले लेती है। समिति मंत्रालय के इस उत्तर से आश्वस्त नहीं हुई कि बहुत बड़ी संख्या में फील्ड फंक्शनरीज की बहुत बड़ी संख्या एटीएन प्रस्तुत करने में विलंब का कारण है। समिति महसूस करती है कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे मंत्रालय के लिए अन्य मंत्रालयों की अपेक्षा अपने फील्ड यूनिट्स के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना अपेक्षाकृत आसान होगा। इसलिए समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि आई मॉडयूल्स और संचार नेटवर्क्स के अपने कोर क्षेत्रों का उपयोग करते हुए अपने फील्ड यूनिट्स के बेहतर समन्वय सुनिश्चित करे ताकि लेखापरीक्षा के संबंध में एटीएन को प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी शीघ्रतापूर्वक प्राप्त की जा सके और उन्हें लेखापरीक्षा से जांच करवाने के बाद लोक सभा सचिवालय को अग्रेषित किया जा सके। इसके अलावा, समिति यह नोट कर निराश हुई है कि मंत्रालय ने लंबित पैराओं जिसमें वर्ष 2006 का भी लंबित पैरा शामिल है, के निपटान हेतु प्रतिबद्धता से प्रयास नहीं किया जबकि प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत हुए लगभग दस वर्ष हो चुके हैं। अतः समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करे और ऐसी गलती के लिए जिम्मेदारी तय करे। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय एटीएनों के यथा समय प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र बनाए और समिति को इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने छह माह के भीतर इस पर की-गई-कार्रवाई से अवगत कराए।

मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई

इस मामले की जांच के बाद यह पाया गया था कि सभी 22 लेखापरीक्षा पैरा से संबंधित की गई कार्रवाई संबंधी नोट को पूरी तत्परता के साथ तैयार किया गया था यानि एटीएन को समय पर तैयार करने; पुनरीक्षण के लिए लेखापरीक्षा में एटीएन प्रस्तुत करना और आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्राप्त होने पर उक्त संबोधित एटीएन को प्रस्तुत करके पैरा को समाप्त करने आदि पर कार्रवाई की गई थी। इनमें से कई पैरा को प्रस्तुत करने में नीतिगत निर्णय से आने वाली चुनौतियों, वसूली से संबंधी मुद्दों तथा अनेक पणधारकों के शामिल होने के कारण काफी समय लगा जिसके परिणाम स्वरूप लेखापरीक्षा की संतुष्टि होने तक कुछ पैरा के निपटने में अपरिहार्य देरी हुई। इसके अतिरिक्त लोक लेखा समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्रवाई की गईः-

(क) वित्त मंत्रालय की निगरानी प्रकोष्ठ की लेखापरीक्षा पैरा निगरानी प्रणाली (एपीएमएस) https://apms.nic.in द्वारा लंबित लेखापरीक्षा पैरा की निगरानी की जा रही है। इस वेबसाइट पर सभी अपडेट/की-गई-कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन) को समय-समय पर अपडेट किया जाता है। तदनुसार एटीएन की समयबद्ध प्रस्तुति तथा निगरानी के लिए दूरसंचार विभाग में भी प्रभावी निगरानी प्रणाली को सुनिश्चित किया जा रहा है।

(ख) लंबित एटीएन की समीक्षा करने के लिए मासिक आधार पर स्थायी लेखापरीक्षा समिति (एसएसी) आयोजित की बैठकेंकी जाती है तथा पैरे के निपटान हेतु संबंधित स्कंधों के साथ प्रभावी अनुसरण किया जाता है।

(ग) इस संबंध में, यह भी सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित सभी 22 पैरे का निपटान जुलाई 2017 तक कर लिया गया था। दिनांक 30.09.2020 के स्थिति के अनुसार 43 पैरे में से 30 पैरे (70 प्रतिशत) के उत्तरों को पहले ही संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया गया है तथा शेष पैरे से संबंधित स्कंधों के साथ तत्परता से उठाया जा रहा है।

(घ) इसलिए, लेखापरीक्षा पैरे के समयबद्ध निपटान के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध है कि उक्त पैरा को हटा दिया जाए।

नई दिल्ली;

जुलाई, 2021

आषाढ़, 1943 (शक)

अधीर रंजन चौधरी

सभापति,

लोक लेखा समिति

परिशिष्ट-दो

(देखिए, प्राक्कथन का पैरा -पांच)

लोक लेखा समिति के अपने बयालीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

एक.	टिप्पणियों/सिफारिशों की कुल संख्या	15
दो.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: (पैरा सं. 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 और 15)	कुल 11 प्रतिशतता: 73.3%
तीन.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती: (पैरा सं. 1 और 2)	कुल:02 प्रतिशतता: 13.3%
चार.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है, और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है: (पैरा सं. 9)	कुल:01 प्रतिशतता: 16.67%
पांच.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं: (पैरा सं. 8)	कुल:01 प्रतिशतता: 6.6%